लगातार 11-10-2018.

आवेदक अभियुक्त प्रत्येक की ओर से मु0 (5000₹) पाँच हजार रुपये के एक समतुल्य राशि के प्रतिभू का बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त होने का आदेश दिया जाता है।

हस्ताक्षर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

तत्पश्चात 11-10-2018.

उपरोक्त आदेशानुसार मांगे गए रुपये के प्रतिभू का बंधपत्र आवेदक तीनों अभियुक्त की ओर से जमानतदार के राजस्व जमाबन्दी रसीद, आईडी प्रूफ, आवेदन तथा फोटो पहचान प्रमाणित खतौनी प्रति के साथ दाखिल किया गया है। दाखिल बंधपत्र व अन्य को औपचारिकता सही पाकर बंधपत्र को स्वीकार किया जाता है। ~~[illegible]~~ तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

हस्ताक्षर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

05-11-2018.

P.F. not received as yet. Lawyers not turn-up due to death of another one lawyer.

Put up on 07-12-2018 for P.F.

[signature]

CJM

06-11-2018.

अभियुक्त (1) [illegible] यादव तथा (2) [illegible] यादव न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हैं। दोनों अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दोनों अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र शपथपत्र तथा वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि स0 अभि0 पदा0 को प्राप्त कराया गया है। जमानत आवेदन पत्र बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा परिचालित किया गया। जमानत आवेदन के बिन्दु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता के कथनों को सुना। स0 अभि0 पदा0 जमानत का विरोध करते हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 448, 341, 323, 379, 427, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। धारा 379 भा0 द0 वि0 को छोड़कर शेष धारा जमानतीय है। आवेदक अभियुक्त का इस वाद में स्वतः प्रथम उपस्थिति है। धारा 379 भा0 द0 वि0 वाद को अजमानतीय बनाने के उद्देश्य से आवेष्ठित किया गया है। वाद के सह अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है। समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक दोनों अभियुक्त प्रत्येक की ओर

क्रमशः